2019 का विधेयक संख्यांक 365 .

[दि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) विधेयक, 2019

विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम,1988
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम विशेष संरक्षा ग्रुप (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 4 का संशोधन ।

1988 का 34

2. विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 की धारा 4 में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(1) (क) प्रधानमंत्री और उसके साथ उसके शासकीय निवास पर निवास करने वाले अव्यवहित कुटुंब के सदस्य की ; और

(ख) किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री और उसके अव्यवहित कुटुंब के ऐसे सदस्य की, जो उसके साथ उन्हें आबंटित निवास स्थान पर निवास करते हैं, उस तारीख से, जिसको वह प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह जाता है, पांच वर्ष की अवधि तक, निकट सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए संघ का एक सशस्त्र बल होगा, जिसे विशेष संरक्षा ग्रुप कहा जाएगा ।";

(ii) उपधारा (1क) में, खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(ख) जहां किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री से निकट सुरक्षा हटा ली जाती है, वहां ऐसी निकट सुरक्षा ऐसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री के अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों से भी हट जाएगी ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 (अधिनियम) प्रधानमंत्री और उनके अव्यवहित कुटुंब सदस्यों को निकट सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए संघ के एक सशस्त्र बल के रूप में विशेष संरक्षा ग्रुप (एसपीजी) का गठन करने और विनियमन करने का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था । अधिनियम का, प्रधानमंत्री के पद छोड़ने से विभिन्न अवधियों के लिए, भूतपूर्व प्रधानमंत्री और उनके अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों को एसपीजी सुरक्षा का विस्तार करने के लिए वर्ष 1991, 1994, 1999 और 2003 में संशोधन किया गया था । वर्ष 2003 में इसे प्रधानमंत्री के पद को छोड़ने और तत्पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा आवधिक रूप से मूल्यांकन किए गए खतरे के स्तर के आधार पर एक वर्ष के लिए भूतपूर्व प्रधानमंत्री और उनके अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों को एसपीजी सुरक्षा का विस्तार करने के लिए अंतिम बार संशोधन किया गया था ।

2. अधिनियम में, भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों या उनके अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों को एसपीजी संरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कोई अवधि निश्चित नहीं है । अतः, ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिन्हें एसपीजी सुरक्षा दी जानी है, संभाव्यता अति विशाल हो सकती है । ऐसे परिप्रेक्ष्य में, एसपीजी के संसाधनों, प्रशिक्षण और संबंधित उसकी अवसंरचना पर कठोर अवरोध हो सकते हैं । इसका प्रधान संरक्षी, पदस्थ प्रधानमंत्री को पर्याप्त संरक्षा प्रदान करने में एसपीजी की प्रभावकारिता पर भी प्रभाव पड़ सकता है ।

3. अतः, अब, अधिनियम का संशोधन करना आवश्यक समझा गया है जिससे मुख्य आदेश पर ध्यान केंद्रित किया जा सके क्योंकि सरकार के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री की सुरक्षा, सरकार, शासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के संबंध में सर्वोच्च महत्व की है । यह देश के वर्तमान भौगोलिक-राजनैतिक संदर्भ में, शत्रुतापूर्ण पड़ोस तथा खतरों के बहुस्तरीय आयामों, जिनका देश सामना करता है, विशेष महत्व रखती है । पदस्थ प्रधानमंत्री के लिए अत्यंत जरूरी महत्वपूर्ण सुरक्षा को मान्यता देते हुए, विशेष संरक्षा ग्रुप का गठन करने के लिए विशेष अधिनियमिति बनाई गई थी जिसका एकमात्र उद्देश्य प्रधानमंत्री और उसके अव्यवहित कुटुम्ब के सदस्यों को निकट सुरक्षा प्रदान करना है ।

4. प्रस्तावित विधेयक निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए है, अर्थात् :--

(क) धारा 4 की उपधारा (1) को प्रतिस्थापित करना, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि विशेष संरक्षा ग्रुप प्रधानमंत्री और उसके साथ निवास करने वाले उनके अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों को और किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री और उनके अव्यवहित कुटुंब के ऐसे सदस्यों को, जो उनके साथ उनके आबंटित निवास स्थान पर निवास कर रहे हैं ; उस तारीख से, जिसको वह प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह जाता है, पांच वर्ष तक की अवधि लिए निकट सुरक्षा प्रदान करेगा ;

(ख) धारा 4 के खंड (ख) को प्रतिस्थापित करना, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि जहां किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री से निकट सुरक्षा हटा ली जाती है, वहां ऐसी

निकट सुरक्षा ऐसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री के अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों से भी हटा दी जाएगी ।

5. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
21 नवंबर, 2019.

अमित शाह

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के उपबंधों में भारत की संचित निधि मे से कोई आवर्ती व्यय या अनावर्ती व्यय अन्तर्वलित नहीं है ।

उपाबंध

विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 34) से उद्धरण

* * * * * *

ग्रुप का गठन।

4. (1) (i) प्रधानमंत्री और उसके अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों की, और

(ii) किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री या उसके अव्यवहित कुटुम्ब के सदस्यों की—

निकट सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए संघ एक सशस्त्र बल होगा, जिसे विशेष संरक्षा ग्रुप कहा जाएगा ।

(क) उस तारीख से, जिसको भूतपूर्व प्रधानमंत्री पद पर नहीं रह जाता है, एक वर्ष की अवधि तक और एक वर्ष से परे केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिश्चित धमकी के स्तर पर आधारित अवधि तक, तथापि, यह कि निकट सुरक्षा की आवश्यकता के संबंध में किए गए दो क्रमवर्ती निर्धारणों के बीच बारह मास से अधिक का समय व्यतीत न हुआ हो :

परंतु केन्द्रीय सरकार, धमकी के स्तर का विनिश्चय करते समय, अन्य बातों के साथ निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगी, अर्थात् :—

(अ) धमकी किसी उग्रवादी या आतंकवादी संगठन द्वारा अथवा किसी अन्य स्रोत से दी गई है; और

(आ) धमकी गंभीर और लगातार बने रहने वाली प्रकृति की है;

(ख) उनकी विदेश यात्रा के दौरान, निकट सुरक्षा की हकदारी और केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित धमकी के स्तर के आधार पर ।

(1क) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) कोई भूतपूर्व प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के या किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री के अव्यवहित कुटुंब का कोई सदस्य ऐसी निकट सुरक्षा से इंकार कर सकेगा ;

(ख) जहां किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री से निकट सुरक्षा, चाहे विशेष सरंक्षा ग्रुप (संशोधन) अधिनियम, 1999 के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात् हटा ली जाती है, वहां ऐसी निकट सुरक्षा ऐसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री के अव्यवहित कुटुंब के सदस्यों से भी हट जाएगी :

परंतु जहां किसी भूतपूर्व प्रधानमंत्री के अव्यवहित कुटुंब के किसी सदस्य के सामने खतरे का स्तर निकट सुरक्षा या किसी अन्य सुरक्षा को न्यायसंगत बनाता है वहां ऐसी सुरक्षा उस सदस्य को प्रदान की जाएगी ।

* * * * * *

MGIPMRND—3659LS(CRC)—22-11-2019.